न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—274 / 2025

प्रार्थीः—

कानाराम पुत्र पुनमा जाति भील निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. कालूराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. भुपसिंह पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई निवासी मिठौडा तहसील सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 24.09.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 833 रकबा 0.4646 हैक्टेयर भूमि ग्राम मिठौडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड व जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का वास्तविक नाम "कानाराम पुत्र पुनमाजी" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " कानाराम पुत्र सोनाराम" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1972 दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज [illegible] की छायाप्रति, आधारकार्ड की प्रति पेश किया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''कानाराम पुत्र पुनमाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 833 रकबा 0.4646 हैक्टेयर भूमि ग्राम मिठौडा तहसील सिवाना प्रार्थी का नाम ''कानाराम पुत्र सोनाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रेय विलेख, आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''कानाराम पुत्र पुनमाराम'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''कानाराम पुत्र सोनाराम'' नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 833 रकबा 0.4646 हैक्टेयर भूमि ग्राम मिठौडा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''कानाराम· पुत्र सोनाराम' के स्थान पर '' कानाराम व पूनमाराम '' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested